बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट

बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट के अधीन उधारकर्ता / यूटिलिटियों को अपरिक्रामी रुपया ऋण सहायता के रूप में आवधिक ऋण सुविधा के रूप में आवधिक ऋण सुविधा **(15** वर्ष तक**)** दिए जाने का प्रस्ताव है। यह ऋण सहायता मशीनरी, उपस्कर और अन्य पूंजीगत माल की खरीद के लिए दिया जाएगा। यह ऋण सुविधा विशेषतः उस खरीद के लिए दिया जाएगा, जिसमें उपस्थित लाभों का मूल्यांकन कार्यों के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैलने, उपस्कर / मशीनरी के संस्थापन की तत्काल आवश्यकता, खराबी / अपरिहार्य स्थिति अतिरिक्त पुर्जों आदि के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है।

इस योजना के अधीन सभी राज्य क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए ऋण उपलब्ध होगा, जिनमें विद्युत उत्पादन / पारेषण / वितरण करने वाले विद्युत विभाग / राज्य बिजली बोर्ड भी शामिल हैं, बशर्ते कि पीएफसी की नीति के अनुसार राज्य विद्युत यूटिलिटी का ऐसा वर्गीकरण उपलब्ध हो, जिसके अधीन पीएफसी की नीति के अनुसार किसी को चूककर्ता घोषित नहीं किया गया हो। इस योजना के अधीन दी जाने वाली सहायता ऐसे मामलों में नहीं दी जाएगी, जहां विस्तृत मूल्य निरूपण अपेक्षित हो, अर्थात् ग्रास-रूट / नई परियोजना, बड़ा विस्तार / विविधता आदि, और / या पुराने उपस्कर / मशीनरी को अधिग्रहण करने के लिए, और / या घर में ही उपस्कर / मशीनरी आदि का निर्माण करने के लिए, और / या पीएफसी की किसी अन्य योजना अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं / बैंकों की योजना के अधीन पहले ही वित्तपोषित अन्य पूंजीगत मार्ग के लिए।

इस योजना के अधीन उपस्कर / मशीनरी / पूंजीगत मार्ग की लागत के **100** प्रतिशत तक की सहायता दी जाएगी, जिसमें बीमा, भाड़ा, कर और मशीनरी के साथ दिए जाने वाले सहायक और अतिरिक्त पुर्जे भी शामिल हैं और इसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया / किया जाने वाला संबंधित सिविल और उत्थापन कार्य भी शामिल है।

ब्याज की दर और अन्य प्रभार पीएफसी द्वारा समय-समय पर लागू और घोषित किए गए अनुसार लागू होंगे।

ऋण के अस्थगन की अवधि के अपवर्जन की अवधि इस ऋण सहायता के अधीन प्रत्येक वितरण के मामले में उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण के माले में अवधि **15** वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऋण स्थगन की अवधि उधारकर्ता द्वारा दिए गए वापसी अवधि के विकल्प पर निर्भर करेगी।

ऋण का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ताओं को राज्य सरकार की गारंटी या इस योजना के अधीन वित्तपोषित उपस्कर **/** मशीनरी पर प्रभार या अन्य परिसंपत्तियों पर प्रभार और निर्धारित फार्मेट में **(**यदि विद्यमान निलंब पर्याप्त न हो**)** निलंब **(**एस्क्रो**)** लेखा करार उपलब्ध करना होगा।

ऋण सहायता की न्यूनतम रकम **1.00** करोड़ रुपए होगी। इस योजना के अधीन अधिकतम मंजूरी प्रत्येक वित्त वर्ष में **500** करोड़ रुपए तक होगी **(**जिसमें बाकी मंजूरियां भी शामिल हैं**,** बशर्ते कि आंतरिक प्रकटन के मापदंडों को पूरा किया गया हो**)**।